(279)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंड़ल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा जिला रीवा (म.प्र.)

101/-
Rs 301/-

III/निग0/सीधी/भू.रा.0/2017/1883

1. संजय तनय अशोक कुमार शर्मा उम्र 32 वर्ष पेशा खेती
2. शर्मिला पति मनोज कुमार उम्र 30 वर्ष पेशा गृहकार्य

दोनो निवासी ग्राम खडौरा तहसील मझौली जिला सीधी (म.प्र.)

———आवेदक / निगरानीकर्तागण

बनाम

1. पुष्पाराव पति राघवेन्द्र राव निवासी ग्राम मुडहेरिया तहसील मझौली जिला सीधी (म.प्र.)
2. म.प्र.राज्य द्वारा राजस्व निरीक्षक मंड़ल मझौली जिला सीधी (म.प्र.)

—————अनावेदकगण / गैरनिगरानीकर्ता

आवे0 श्री रजीत कुमार मिश्रा द्वारा पेश 03-6-17

क्लर्क आफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा

निगरानी विरूद्ध आदेश राजस्व निरीक्षक मंडल मझौली के राजस्व प्रकरण क्रमांक 12अ—12 / 2016—17 आदेश दिनांक 08.05.2017

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं.1959

मान्यवर,

प्रकरण का संक्षिप्त तथ्य

1. यह कि ग्राम डांगा की भूमि खसरा क्रमांक 1247 जो पूर्व पट्टेदार यज्ञनारायण तनय भरोषाराम के पट्टे कब्जे की भूमि है जिसे रजिस्टर्ड बसीयत कराकर आवेदकगण को वर्ष 2006 में अपने नाती व नाती पतोहू को प्रदाय की गई थी इसी दरम्यान आवेदिका पुष्पाराव द्वारा उक्त भूमि को सीता एवं शकुंतला से फर्जी विक्रय पत्र निष्पादित कराये जाने से तहसीलदार के समक्ष नामांतरण की कार्यवाही करा लेने के पश्चात अनावेदक के द्वारा उक्त भूमि का सीमांकन दिनांक 08.05.2017 को निष्पादन कराया गया है जबकि 1247 / 1 का भूमि स्वामी आज भी आवेदक का पिता व चाचा शम्भू प्रसाद पिता यज्ञनारायण खसरे में विद्यमान है 1247 / 2 को सीमांकन के वावत् सही जानकारी न देते हुये 1247 / 1 में अपना प्लाट बताकर फर्जी सीमांकन अनावेदक द्वारा कराये जाने से उक्त भूमि के

(279)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक III / निग0 / सीधी / भू–रा0 / 2017 / 1883 जिला–सीधी

संजय शर्मा / पुष्पराव

(1)	(2)	(3)
24.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री अनूपदेव पाण्डेय उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, वृत्त मझौली, तहसील मझौली के प्रकरण क्रमांक 12 / अ–12 / 2016–17 में पारित आदेश दिनांक 08.05.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 16.07.19 को कलेक्टर, जिला सीधी के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	